



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय एनएमआर जेएनयू कैम्पस
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NMR JNU CAMPUS
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)
पुराना जे.एन.यू. परिसर, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110067
OLD JNU CAMPUS, NEW MEHRAULI ROAD, New Delhi-110067
✉ pms shri@kvsrodelhi.in 🌐 <https://newmehrauliroadjnu.kvs.ac.in>

☎: 9560618796

KV CODE: 1430, STN. CODE: 239, REG. CODE: 09, DISE CODE: 07080916601 CBSE SCH. CODE: 29021, CBSE AFF. NO. 2700019

फा.1430/के.वि./जे.एन.यू./2025-26/

दिनांक: 09.03.2026

कैंटीन सेवाओं की खुली निविदा के लिए निविदा दस्तावेज

टेंडर दिनांक 23-03-2026 को प्राचार्य कार्यालय
में प्रातः 11:00 बजे खोले जाएंगे I

विषय: अनुबंध की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए कैंटीन अनुबंध प्रदान करना (अधिमानत: 01-04-2026 से 31-03-2027 तक)।

महोदय/महोदया,

कृपया पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैम्पस नई दिल्ली में कैंटीन चलाने के लिए संलग्न निविदा दस्तावेज देखें। विधिवत भरी हुई, हस्ताक्षरित और मुहरबंद लिफाफे में निविदा, प्राचार्य, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, न्यू महरौली रोड, ओल्ड जेएनयू कैम्पस, बाबा गंगनाथ मार्ग, नियर बेरसराय नई दिल्ली 110067 के कार्यालय, 23.03.2026 को प्रातः 10.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए।

सेवा-स्थल, स्थान आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया निःसंकोच विद्यालय आएँ।

(कृपया इस दस्तावेज के अनुलग्नक I, II और III में शामिल सभी पृष्ठों को विधिवत हस्ताक्षरित और सील करके जमा करें)

बयाना राशि: रु. 10000/- (केवल दस हजार रुपये)* का भुगतान निम्नलिखित खाते में डिजिटल रूप से किया जाना है:

नाम: केन्द्रीय विद्यालय एनएमआर वीवीएन अकाउंट न.: 349902010045015, आईएफएससी कोड: UBIN0534994

शाखा: एसडीए दिल्ली-16 कृपया निविदा दस्तावेजों के साथ लेनदेन पर्ची संलग्न करें

संलग्नक: निविदा दस्तावेज।

TENDER DOCUMENT FOR OPEN TENDER OF CANTEEN SERVICES

Sub: Awarding of Canteen Contract for the period of 1 Year from the date of contract (preferably 01-04-2026 to 31-03-2027).

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the tender documents for running of Canteen at PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI. Tender duly filled, signed and stamped in sealed cover addressed to THE PRINCIPAL, PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NEW MEHRAULI ROAD, OLD JNU CAMPUS, BABA GANGNATH MARG, NEAR BER SARAI, NEW DELHI 110067 should reach latest by 10:00 am on 23.03.2026.

In case of any query or clarification related to location, space etc., please feel free to visit the Vidyalaya. (PLEASE SUBMIT ALL THE PAGES CONTAINED IN THIS DOCUMENT ANNEXURE I, II & III DULY SIGNED AND SEALED)

Earnest Money: Rs. 10000/- (Rupees Ten Thousand Only)* to be paid digitally to the Following Account:

Name: Kendriya Vidyalaya NMR VVN A/C No: 349902010045015, IFSC Code: UBIN0534994

Branch: SDA DELHI-16 Please Attach the Transaction slip with Tender documents

Encl: Tender Document.

असफल निविदाकार की बयाना राशि निविदा खोलने के 10 दिनों के बाद वापस की जाएगी।

/ EMD of unsuccessful bidder will be returned after 10 days of opening of BID.

प्राचार्य / PRINCIPAL
पीएम श्री के वि / PM SHRI KV
जेएनयू नई दिल्ली / JNU NEW DELHI

निविदाकार द्वारा जमा किया जाने वाला निविदा प्रपत्र / Tender form to be submitted by the Tenderer

1. फर्म का नाम / Name of the Firm:

2. पता / Address:

3. Contact No:

4. Registration/ Licence No.....

(Copy of license issued by the local authority & FSSAI should be attached or copy of the letter pad or bill book may be attached)

5. PAN No..... (Copy to be Enclosed)

6. GST No:..... (Copy to be Enclosed)

7. स्थापना वर्ष / Year of Establishment

8. Contracts executed till date (Experience)

(Nature thereof): Govt. / Semi Govt./ Private

Please give details of contracts executed in a separate sheet, along with documentary proof if any thereof)

NAME OF ORGANISATION/INSTITUTE	FROM	TO
--------------------------------	------	----

i)

ii)

iii)

iv)

9. Present assignment in hand: Govt./Semi./Private

NAME OF ORGANISATION/INSTITUTE	FROM	TO
--------------------------------	------	----

i)

ii)

Earnest Money: Transaction ID.Dt..... Rs. 10000/-

10. निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें जैसी अधिसूचित की गई हैं, मुझे / हमें मंजूर हैं । / All the items and conditions, as mentioned in the Tender Form are acceptable to

Me/us.

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर / Signature of the Tenderer With stamp

पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू परिसर नई दिल्ली में कैंटीन चलाने के लिए अनुबंध के नियम एवं शर्तें

(कृपया इस दस्तावेज़ को निविदा पत्रों के साथ संलग्न करें और जमा करें)

यह कान्ट्रैक्ट प्रारंभ में करार की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और उसके बाद इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और विद्यालय प्राधिकारी के विवेक पर आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार आगे की अवधि के लिए (सफल संतोषजनक प्रदर्शन पर) बढ़ाया जा सकता है।

ठेकेदार के पास स्कूल कैंटीन चलाने के लिए वैध भोजन/खानपान या कोई आवश्यक लाइसेंस या अनुमति होनी चाहिए। निविदा खुलने की तारीख के अनुसार एक वैध लाइव (असमाप्त) FSSAI प्रमाणपत्र आवश्यक है और सफल निविदाकार द्वारा इसे समाप्ति से पहले नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

ठेकेदार केवल उन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जो विशेष रूप से पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू नई दिल्ली की समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदित हैं और सीबीएसई द्वारा पत्र संख्या सीबीएसई/जेडी (एएचए)/सर्कि/2016 दिनांक 06 जनवरी 2016/ के तहत स्कूल कैंटीन के लिए निर्देशित हैं।

अनुबंध-III में उल्लिखित सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

कैंटीन के लिए भवन स्कूल द्वारा किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। कमरे की उचित देखभाल और सुरक्षित रख-रखाव के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार अपने उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव करेगा और वह इस खाते पर खर्च की किसी भी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।

कैंटीन ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैंटीन में सप्लाई किए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ और खाने योग्य वस्तुएं सुरक्षित, स्वच्छ और छात्रों और कर्मचारियों द्वारा उपभोग के लिए उपयुक्त हों। किसी भी खाद्य विषाक्तता/संदूषण के मामले में ठेकेदार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह उचित समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ खाद्य विषाक्तता/संदूषण के कारण होने वाले सभी खर्चों को वहन करेगा।

कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए ठेकेदार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी व्यक्ति ठेकेदार के अपने कर्मचारी होंगे और वे प्राचार्य, केवी एनएमआर जेएनयू नई दिल्ली से किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं करेंगे। सामान्य अनुशासन और व्यवहार के संबंध में ठेकेदार अपने कर्मचारियों के बर्ताव एवं आचरण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।

ठेकेदार अपने सभी श्रमिकों को सामान्य फिटनेस के अलावा संचारी रोगों से मुक्त करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से चिकित्सकीय जांच कराएगा।

ठेकेदार रसोई के साथ-साथ कैंटीन हॉल में क्रॉकरी, खाना पकाने के बर्तन, फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग, हाथ के दस्ताने, माउथ मास्क, हेड कवर आदि की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा। विद्यालय इसके लिए कोई सफाई सामग्री/डिस्टर आदि उपलब्ध नहीं कराएगा।

ठेकेदार और ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा रसोई, कैंटीन हॉल और संबंधित सेवाओं के संचालन में स्वच्छता और साफ-सफाई के बहुत उच्च मानकों का पालन किया जाएगा, जिसमें इस्तेमाल किए गए बर्तनों के संग्रह और कचरे और कचरे के आवधिक निपटान के लिए जिम्मेदार लोग भी शामिल होंगे।

कैंटीन सभी कार्य दिवसों पर स्कूल समय के दौरान खानपान के लिए खोली जाएगी और स्कूल/कार्यालय समाप्त होने के अधिकतम एक घंटे बाद बंद कर दी जाएगी। विद्यालय कार्यालय के निर्देश पर जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, कैंटीन एवं केटरिंग सेवाएं शाम, रात एवं अवकाश के दिनों पर भी सुनिश्चित की जाएं।

ठेकेदार विद्यालय से कोई भी सामान बिना गेट-पास बाहर नहीं ले जाएगा। गेट-पास विद्यालय कैंटीन प्रभारी / प्राचार्य द्वारा जारी किया जाएगा।

ठेकेदार द्वारा बिना किसी सूचना के अनुमोदित वस्तुओं की आपूर्ति करने में विफलता की स्थिति में, ठेकेदार के जोखिम और लागत पर विद्यालय द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी।

ठेकेदार भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए वर्तमान में लागू अथवा भविष्य में लागू की जाने वाले सभी प्रावधानों, (विनियमन और

उन्मूलन) अधिनियम, कर्मचारी कर्मचारी बीमा अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952, अन्य नियम विनियमों और/या प्रतिमानों के प्रावधानों का पालन करेगा।

भारत सरकार और श्रम विभाग भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप, कैंटीन परिसर में कोई भी बाल श्रमिक नहीं लगाया जाना चाहिए।

तैनात किए गए व्यक्तियों के पुलिस सत्यापन दस्तावेज ठेकेदार द्वारा तैनाती के 15 दिनों के भीतर पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैंपस नई दिल्ली के कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए अन्यथा उस व्यक्ति को विद्यालय में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ठेकेदार उसे तुरंत उस व्यक्ति के साथ जिसका सत्यापन पूरा हो गया है, बदल देगा।

पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू परिसर नई दिल्ली को कार्यालय परिसर से बाहर जाते समय किसी भी समय ठेकेदार के कर्मचारियों की तलाशी लेने का अधिकार होगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत व्यक्त/महसूस नहीं की जाएगी। ठेकेदार ठेकेदार के श्रमिकों को पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैंपस नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित प्रारूप में आईडी कार्ड जारी करेगा।

गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से निरीक्षण और परीक्षण के उद्देश्य से पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैंपस नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को कैंटीन से खाद्य पदार्थों/कच्चे माल के नमूने लेने का अधिकार सुरक्षित है। हालाँकि, ऐसे नमूने अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा सरकार में निर्धारित मानदंड, तरीके और प्रक्रिया के अनुसार लिए जाएंगे।

कैंटीन में स्वच्छता और पर्याप्त सेवा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कैंटीन के कामकाज का निरीक्षण और निगरानी करने के लिए पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू परिसर नई दिल्ली द्वारा एक कैंटीन प्रबंधन समिति नामित की जाएगी। यदि ठेकेदार की विफलता के कारण समिति द्वारा बार-बार विफलता या कमी देखी जाती है, तो कैंटीन समिति के प्रभारी प्राचार्य की मंजूरी के साथ ठेकेदार को देय बिलों से एक बार में 5000/- रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन परिसर में कोई भी खतरनाक या ज्वलनशील या कोई नशीला पदार्थ संग्रहीत नहीं किया जाएगा।

विद्यार्थियों को कैंटीन सुविधा केवल मध्याह्नकाल अथवा खेल कालांश में ही उपलब्ध करनी होगी, अनुशासन की दृष्टि से नियमित कालांश के समय विद्यार्थियों को पानी के अतिरिक्त अन्य खाद्य सामग्री देना प्रतिबंधित होगा।

बयाना राशि (वापसीयोग्य): रु. 10000/- (केवल दस हजार रुपये) का भुगतान निम्नलिखित खाते में डिजिटल रूप से किया जाना है:

नाम: केन्द्रीय विद्यालय एनएमआर वीवीएन खाता संख्या: 349902010045015, आईएफएससी कोड: UBIN0534994

शाखा: एसडीए कृपया निविदा दस्तावेजों के साथ लेनदेन पर्ची संलग्न करें

चयन प्रक्रिया एवं मानदंड: यह डबल पैकेट बोली प्रणाली है। एक ही लिफाफे में दो अलग-अलग लिफाफे रखें:

i) पहले लिफाफे पर तकनीकी बोली का उल्लेख करें और पूरी तरह से भरकर रखें और प्रमाणित करें (प्रत्येक पृष्ठ को ठेकेदार द्वारा सील और हस्ताक्षरित करें) केवल अनुलग्नक 1, 2 (अनुलग्नक 3 या उद्धृत दर का कोई भी प्रमाण न रखें) स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ आवश्यक दस्तावेज उदा. एफएसएसएआई लाइसेंस, पंजीकरण, पैन, जीएसटी, अनुभव प्रमाण पत्र (स्कूल / कॉलेज में कैंटीन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव), ईएमडी जमा करने का प्रमाण।

ii) दूसरे लिफाफे में पूर्ण रूप से भरा हुआ और प्रमाणित (प्रत्येक पृष्ठ को ठेकेदार द्वारा सील और हस्ताक्षरित) संलग्नक 3 भरकर रखा जाना चाहिए, भुगतान किया जाने वाला मासिक किराया।

उसके बाद दोनों लिफाफों पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए i) तकनीकी बोली ii) वित्तीय बोली और उचित रूप से सीलबंद होना चाहिए। इसके बाद दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखें जिसमें पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैंपस नई दिल्ली में कैंटीन सेवाओं के लिए बोली का उल्लेख हो। **बोलियां केवल स्पीड-पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट (बाई हैण्ड / कूरियर से प्राप्त बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी)** के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। 23-03-2026, प्रातः 10:00 बजे के बाद प्राप्त बोलियां शामिल नहीं की जाएंगी।

तकनीकी बोली के सत्यापन के बाद यदि बोलीदाता भाग लेने के योग्य पाया जाता है, तभी उसका दूसरा लिफाफा अर्थात् वित्तीय बोली खोली जाएगी। सफल बोली लगाने वाला वही होगा जो सबसे अधिक किराया देगा। बराबरी की स्थिति में अधिकतम अनुभव रखने वाले बोलीदाता को अनुबंध दिया जाएगा। विद्यालय कैंटीन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराया रु. 18000/= प्रतिमाह है, अधिकतम किराया प्रदान करने वाले पात्र निविदाकार के पक्ष में ठेका दिया जाएगा।

सुरक्षा जमा: सफल बोलीदाता पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैंपस नई दिल्ली के पास रुपये की राशि जमा करेगा। बोली सुरक्षा के रूप में 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)। अनुबंध के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, किसी भी बकाया/लगाए गए जुर्माने आदि की कटौती के बाद, बोली सुरक्षा ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

ठेकेदार कैंटीन को किसी को किराए पर नहीं देगा या आवंटित नहीं करेगा या कैंटीन चलाने के लिए प्रदान की गई जगह का उपयोग कैंटीन चलाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा और परिसर में किसी को रहने या रहने की अनुमति नहीं देगा और सामान रखने या सामान रखने के लिए आवंटित स्थान के अलावा विद्यालय के किसी हिस्से का उपयोग नहीं करेगा। कैंटीन में उपयोग के लिए आवश्यक चीजों के अलावा प्रबंधन की लिखित मंजूरी के बिना इसमें कोई संरचनात्मक परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा या करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ठेकेदार स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैंपस नई दिल्ली की संपत्ति को होने वाली सभी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार होगा और उचित उपयोग या टूट-फूट के अलावा ऐसे किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा।

पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू परिसर, नई दिल्ली रसोई और अन्य कमरों सहित कैंटीन परिसर में ठेकेदार द्वारा रखे गए किसी भी सामान, स्टोर या लेख के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

ठेकेदार कान्ट्रैक्ट अवधि की समाप्ति के बाद और/या किसी भी तरह से वांछित होने पर उससे पहले परिसर को शांतिपूर्वक खाली कर देगा और इसे सभी फर्नीचर, फिटिंग और अन्य वस्तुओं के साथ प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा, जैसा कि प्रदान किया गया हो। समय-समय पर प्राचार्य, पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू परिसर नई दिल्ली का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। ठेकेदार पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैंपस नई दिल्ली की संपत्ति जैसे फर्नीचर, फिटिंग, क्रॉकरी, कटलरी, बर्तन और अन्य सामान को बिना किसी नुकसान के हटाने के लिए स्वतंत्र होगा जो ठेकेदार द्वारा लाया गया हो।

किसी भी विवाद के मामले में समिति के सदस्यों, पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू परिसर नई दिल्ली का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

ठेकेदार के पास अनुबंध अवधि के दौरान केवल पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैंपस नई दिल्ली परिसर में कैंटीन चलाने की अनुमति है और इस दस्तावेज़ में शामिल किसी भी चीज़ को उक्त पीएम श्री केवी एनएमआर जेएनयू कैंपस नई दिल्ली के कानून के तहत खत्म नहीं माना जाएगा। परिसर या उसका कोई भाग और ठेकेदार को कोई कानूनी स्वामित्व या हित नहीं देगा।

कैंटीन ठेकेदार खाद्य पदार्थ परोसने के उद्देश्य से सभी क्रॉकरी/बर्तन, गैस कनेक्शन, ओवन, माइक्रोवेव, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, कूड़ेदान या किसी अन्य गैजेट/उपकरण की व्यवस्था करेगा एवं आवश्यक मानकों की अपने खर्च पर व्यवस्था करेगा।

विद्यालय पानी और बिजली की फिटिंग, बेसिन और कैंटीन के लिए कमरे जैसी बुनियादी सुविधाएं निर्धारित भुगतान पर प्रदान करेगा। अन्य सभी फिक्स्चर और फिटिंग की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

ठेकेदार को विद्यालय प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार बिजली और पानी के बिल सहित कमरे का किराया देना होगा।

ठेकेदार को धुआं निकास और कूड़ा निस्तारण के लिए उचित और वैज्ञानिक पद्धति की व्यवस्था करनी होगी। विद्यालय परिसर में निर्धारित स्थान के अलावा किसी भी कूड़े का निस्तारण नहीं किया जाएगा। कैंटीन के आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखना ठेकेदार की एकमात्र और प्रमुख जिम्मेदारी होगी। आउटलेटों पर जल जमाव को तुरंत साफ करना होगा।

सभी तेल, मक्खन, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ आईएसआई/एगमार्क/एफएसएसएआई अनुमोदित होने चाहिए।

सभी पैक किए गए खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट/केक आदि एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बेचे जाएंगे।

ठेकेदार को अपनी कोटेशन के साथ फर्म को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन और जीएसटी नंबर उपलब्ध कराना होगा। पैन नंबर जमा किए बिना कोई भी भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। उसके भुगतान से प्रचलित कर प्रावधानों के अनुसार सभी कर वसूल किये जायेंगे। प्रस्तुत करने योग्य दस्तावेज़:

पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण की प्रति, एफएसएसएआई प्रमाणपत्र की प्रति, फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि।

ऊपर उल्लिखित नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर / Signature of the Tenderer With stamp

TERMS & CONDITIONS OF CONTRACT-FOR RUNNING A CANTEEN at
PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI

(Please enclose this document along with tender papers and submit)

The agreement shall be valid initially for a period of 1 Year from the date of agreement and thereafter it may be extended (on successful satisfactory performance) for a further period as may be necessary on mutual agreement with the approval of competent authority and at the discretion of the Vidyalaya authority.

The contractor should have a valid food / catering or any necessary license or permission required for running a school canteen. A valid live (unexpired) FSSAI Certificate upto the date of opening of tender is essential & it must be renewed by the successful bidder before expiry.

The contractor will supply only such items specifically approved by the committee members of PM SHRI KV NMR JNU New Delhi and as directed by the CBSE for the school canteen vide letter no. CBSE/JD (AHA)/Cir/2016 dt January 06, 2016.

The contractor will be responsible for providing all food items mentioned in Annexure-III.

The building for canteen will be provided on rent by the school. The contractor will be responsible for proper handling and safe custody of the room. The contractor will carry out repair and maintenance of the equipment and he will not claim any reimbursement of expenses on this account.

The canteen contractor must ensure that all food items and eatables supplied in the canteen are safe, hygienic, and suitable for consumption by students and staff. In case of any food poisoning/contamination the contractor will be held fully responsible and he will bear all the expenses caused due to food poisoning/Contamination along with legal action as deemed fit.

The Contractor will employ adequate number of staff in order to maintain efficiency. All persons engaged by the contractor shall be the contractor's own employees and they will claim no privileges from PRINCIPAL, KV NMR JNU New Delhi. The contractor will be directly responsible for the behaviour & conduct of his employees as regards general discipline and behavior.

The contractor will get all his workers medically examined from approved Registered Medical Practitioner recognized by Indian Medical Council, to be free from communicable diseases in addition to general fitness.

The Contractor will be responsible for cleanliness of crockery, cooking utensils, furniture, fixtures and fittings, hand gloves, mouth mask, head cover etc. in the kitchen as well as the canteen hall. The Vidyalaya will not provide any cleaning materials/dusters, etc. for the same.

Very high standards of hygiene and cleanliness shall be observed in the running of the kitchen, the canteen hall and connected services by the contractor and workers engaged by contractor including those responsible for collection of used utensils and periodic disposal of waste and refuse.

The Canteen shall be opened for catering during School hours on all working days and will be closed maximum after one hour after the school/office is over. During events organized by the Vidyalaya, canteen & catering services should be functioning during evening, night & holidays, as & when instructed by the Vidyalaya office.

The contractor will not take out any articles from the Vidyalaya without a Gate-Pass. Gate-pass will be issued by the Canteen in-charge/ Principal.

In the event of failure, to supply the approved items without notice by the contractor, the same will be arranged by the Vidyalaya at the Contractor's risk and cost.

The contractor shall comply with the provisions of (Regulation and Abolition) Act, Employees Staff Insurance Act, Workmen's Compensation Act, Payment of wage Act, The Employees Provident Fund and Family Pension Fund Act 1952, the other rules regulations and/ or statues that may be applicable to his staff now or that may be introduced in future by the Govt. of India.

As per Govt. of India and labour department notification, No child labour should be engaged in canteen premises.

The police verification documents of the persons deployed should be deposited by the contractor within 15 days of deployment to the office of **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI** otherwise the person will not be allowed to work in the Vidyalaya and the contractor will replace him immediately with the person whose verification is completed.

PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI shall have the right to search the Contractor's employees at any time while going out of the office premises and there shall be no grievances expressed / felt on this account by either contractor or his employees. The Contractor will issue ID Cards to the contractor's workers in the format approved by **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI**.

PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI representatives reserve the right to take samples of the edibles/raw material from the canteen for the purpose of inspection and testing with a view to maintain the quality. Such samples will however be drawn by authorized person/persons in the manner and as per procedure laid down in Govt. norms.

A canteen Management Committee will be nominated by **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI** to inspect and oversee functioning of Canteen with a view to ensure hygiene and sufficient service in the canteen. In case there are repeated failures or lacuna noticed by the committee due to failure of contractor, the In-charge of the Canteen Committee with the approval of the Principal can impose a fine up to Rs. 5000/- at one time to be recoverable from bills due to the contractor.

Contractor will ensure that any hazardous or inflammable or any intoxicating material is not stored in the canteen premises.

Canteen facility will have to be made available to the students only during the recess or sports period. In order to maintain discipline, it will be prohibited to provide food items other than water to the students during regular periods.

Earnest Money (Refundable): Rs. 10000/- (Rupees Ten Thousand Only) to be paid digitally to the Following Account:

Name: Kendriya Vidyalaya NMR VVN A/C No: 349902010045015

IFSC Code: UBIN0534994

Branch: SDA

Please Attach the Transaction slip with Tender documents

SELECTION NORMS & CRITERIA:

It is double packet bid system. In a single envelope keep two separate envelopes:

- i) On the **First Envelope** mention **Technical Bid** & keep completely filled & certified (Seal & Sign each page by Contractor) Annexure 1, 2 only (**Don't keep Annexure 3 or any such proof of rate quoted**) with self-certified copies of required documents e.g. FSSAI Lic., Registration, PAN, GST, Experience certificates (Minimum 5 years' Experience of running Canteen in School / College), proof of deposit of EMD.
- ii) In the second envelope completely filled & certified (Seal & Sign each page by Contractor) Annexure 3 to be kept by filling Monthly Rent to be paid.
After that both envelopes should be clearly marked i) Technical Bid ii) Financial Bid and properly sealed. Further keep both the envelopes in single big envelope mentioning Bid for Canteen Services at **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI**. **Bids must be dispatched well in advance through Speed-Post / Registered-Post only (Bids received By hand or by Courier will not be accepted). Bids received after 23-03-2026, 10:00 am will not be included.**

After verifying technical bid, if found the bidder is eligible to participate, only then his/her second envelope i.e. financial bid will be opened. Successful bidder will be the one who will offer highest rent. In case of tie the bidder having maximum experience will be awarded the contract. The minimum rent decided by the Vidyalaya Canteen Committee is Rs. 18000/= per month, the contract will be awarded to eligible bidder who will quote maximum rent.

Security Deposit: The successful bidder will deposit with **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI** a sum of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) as bid security. The bid security will be refunded to the contractor on successful completion of contract, after deducting any dues / penalty imposed etc. The security deposit will bear no interest.

The contractor shall not sublet or assign the license or use the space provided for running the canteen for purposes other than running canteen and shall not allow anybody or reside in the licensed premises and shall not use the same or part of it for stocking or keeping articles other than those needed for use in the canteen nor shall be made or permit to be made any structural additions and alterations to the same without written sanction of the Management.

The contractor shall be responsible for all damages or losses to **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI** property by the contractor himself or his staff and shall be liable to make good any such loss or damage excepting those due to reasonable use or wear and tear or such as caused by an act of God.

PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI will not be responsible in any way for any loss or damages accruing to any goods, stores or articles that may be kept by the contractor in the canteen premises including kitchen and other rooms.

The contractor shall vacate the licensed premises peacefully after the expiry of the licensed period and/or earlier if desired by in any way and shall hand over the same to the authorized officer along with all furniture, fittings and other articles as may have been provide, from time to time and the decision of Principal, **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI** shall be final and binding upon the contractor. The Contractor shall be free to remove without any damage to the **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI** property like furniture, fittings, crockery, cutlery, utensils and other articles that might have been brought by the Contractor.

In case of any dispute the decision of Committee Members, **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI** will be final and binding on the Contractor.

The Contractor has a bare permission only to run a canteen in the **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI** premises during the contract period and nothing contained in this document shall be construed as demise in law of the said **PM SHRI KV NMR JNU CAMPUS NEW DELHI** premises or any part thereof and shall not give any legal title or interest to the Contractor.

The Canteen Contractor will arrange all crockeries /utensils, Gas connection, oven, Microwave, Fridge, Mixer grinder, dustbins or any other gadgets/ equipment for the purpose of making serving food items.

The Contractor shall comply with required standards at his own cost.

Vidyalaya shall provide the basic amenities like water and electrical fittings on payment basis, Basin and the room for canteen. All other fixtures and fittings shall have to be arranged by the contractor.

The Contractor shall have to pay the Room Rent including charge of Electricity & water bills as decided by the Vidyalaya authority.

The contractor shall have to arrange a proper and scientific method for smoke outlet and garbage disposal. No garbage will be disposed at other than the specified place of the Vidyalaya campus. It will be sole and prime responsibility on the part of the contractor to keep the surrounding of the canteen clean and hygienic. Water logging at the outlets shall have to be cleared immediately.

All oils, butter, spices and other edible items must be ISI / Agmark /FSSAI approved.

All packed food like biscuits/ cakes etc. to be sold at not more than MRP.

Contractor should provide firms PAN & GST Number issued by Income Tax Department along with his quote. No payment will be released without submission of PAN Number. All taxes will be recovered from his payment as per tax provision in vogue.

Documents to submit:

Copy of PAN Card and GST Registration

Copy of FSSAI Certificate

Firm Registration Certificate

Experience Certificate etc.

Terms and conditions mentioned above are accepted to me.

स्थान / Place:

दिनांक / Date: निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर / Signature of the Tenderer With stamp

निविदाकार द्वारा मानक दरों की स्वीकृति एवं प्रस्तावित कैन्टीन किराया**RATE ACCEPED & CANTEEN RENT OFFERED BY THE CONTRACTOR**

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, जे.एन.यू. एन.एम.आर., पुराना कैम्पस, बाबा गंग नाथ मार्ग, नई दिल्ली-110067

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA JNU NMR, OLD CAMPUS, BABA GANG NATH MARG, NEW DELHI-110067

फर्म का नाम:-.....

NAME OF FIRM:-.....

S.N.	वस्तु का नाम	NAME OF ARTICLES	UNIT	QUANTITY	RATE	REMARKS
1.	मानक चाय	Standard Tea	PER CUP	150 MI	10	
2.	टी बैग के साथ चाय/ ग्रीन टी	Tea With Tea Bags/Green Tea	PER CUP	150 MI	15	
3.	कॉफी	Coffee	PER CUP	150 MI	20	
4.	गरम दूध	Hot Milk	200 ml	200 MI	20	
5.	समोसा	Samosa	EACH	80-90 Gm	10	
6.	इडली-सांबर / वडा-सांबर/ दही भल्ले	Idli-Sambar /Vada-Sambar/ Dahi Bhalle	PER PLATE	02 Piece	50	
7.	मिक्स वेज पकोड़े	Mix Veg Pakode	PER PLATE	100 Gm	30	
8.	पनीर पकोड़ा	Paneer Pakora	EACH	40 Gm	20	
9.	सब्जी के साथ कचौरी	Kachori With Sabzi	PER PLATE	02 Pcs	40	
10.	पैटीज़	Paties	EACH		15	
11.	शाकाहारी सैंडविच	Veg Sandwich	EACH		20	
12.	मक्खन/जैम के साथ ब्रेड स्लाइस	Bread Slice With Butter/Jam	EACH		20	
13.	अंकुरित (मिश्रित) / पोहा	Sprouts (Mix) / Poha	PER PLATE	100 Gm	30	
14.	बूंदी/बेसन के लड्डू (देसी घी/वनस्पति)	Boondi /Besan Ladoo (Desi Ghee/ Vanaspati)	EACH	1 Kg	220	
15.	राजमा चावल / छोले चावल	Rajma Chawal / Chole Chawal	EACH	One Plate	50	
16.	अरहर दाल - चावल और चपाती	Arhar Dal – Chawal And Chapati	EACH	One Plate	50	
17.	4 पूरी+सब्जी अचार के साथ	4 Poori+Sabji With Pickle	EACH	One Plate	50	
18.	छोले के साथ 2 कुलचे	2 Kulche With Chole	EACH	One Plate	50	
19.	काठी पनीर रोल	Kathi Paneer Roll	EACH	One Plate	60	
20.	ब्रेड रोल / आलू बोंडा / ब्रेड पकोड़ा / गुलाब जामुन	Bread Roll / Aloo Bonda / Bread Pakora / Gulab Jamun	EACH	One Piece	15	
21.	दाल, चावल, सब्जी, और 2 रोटी	Dal, Chawal, Sabji, & 2 Roti	EACH	One Plate	75	
22.	छोले भटूरा	Chhole Bhatura	2 Pc	One Plate	50	
23.	केला छोटा/मध्यम/बड़ा	Banana Small/Medium/Big	EACH	Each	6/8/10	
24.	बर्फी	Burfi	Per Pc	80 Gm	30	
25.	सब्जी पुलाव/बिरयानी	Vegetable Pulav / Biryani	EACH	One Plate	50	
26.	SPECIAL MENU DECIDED BY VIDYALAYA REFRESHMENT COMMITTEE EVENT TO EVENT BASIS BY KVS RO/HQ		AS PER KVS NORMS & MUTUALLY AGREED RATES AS PER KVS NORMS			
27.	RENT OF CANTEEN TO BE FILLED BY VENDOR		Rs _____			
28.	ELECTRICITY CHARGES	AS PER METER READING	AVG. RATE PAID BY VIDYALAYA PER UNIT			
29.	Water charges	10% OF MONTHLY BILL PAID BY VIDYALAYA				

- **The contractor shall display the menu and the rate list of all items.**
- **Sub-meter for electricity to be installed by the successful bidder with immediate effect of starting the canteen.**
- टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, फ्रूटी, जूस, कोल्ड-ड्रिंक्स, मिनरल वाटर (ब्रांडेड) एमआरपी या उससे कम मूल्य पर बेचने होंगे।

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर / Signature of the Tenderer With stamp